तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर./823/2005/भरतपुर हरबक्श बनाम रतनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-12-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम,1956) की धारा 84, के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 62/2004 शीर्षक हरबक्श बनाम रतनलाल में पारित आदेश दिनांक 13-12-2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि नामांतरकरण संख्या 207 दिनांक 26-9-2002 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष अपील संख्या 14/2002 शीर्षक बाबूलाल बनाम हरबक्स प्रस्तुत की जिसे दिनांक 11-2-2004 को स्वीकार किया गया। इसे निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13, के अन्तर्गत अविधिक रुप से खारिज कर दिया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी पर नियमों व प्रक्रिया के तहत सम्मनों की तामील नहीं करवाई और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 की अनुपालना नहीं होने से, इसे प्रौपर तामील नहीं माना जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय किया है और प्रार्थी के पक्ष में विधिवत रुप से नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। इस नामांतरकरण को पूर्णतया अविधिक रुप से खारिज किया गया है। इस निर्णय के आधार पर प्रार्थी के खातेदारी के अंकनों को निरस्त किए जाने की सम्भावना है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के अविधिक रुप से पारित किए गए आदेश दिनांक 13-12-2004 एवं 11-2-2004 को अपास्त किया जाए और प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13, के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाए।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर./823/2005/भरतपुर हरबक्श बनाम रतनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि प्रार्थी के पास विकल्प उपलब्ध है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष चाराजोही करे। अपील का विकल्प उपलब्ध होने से मण्डल के समक्ष यह निगरानी संधारण योग्य नहीं है, अतः निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाए। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा अपील संख्या 14/2002 शीर्षक बाबूलाल बनाम हरबक्स में पारित निर्णय दिनांक 11-2-2004 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13, के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 13-12-2004 से, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, सी0पी0सी0 को खारिज किया है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 आदेशों की अपीलें के सम्बन्ध में है जिनमें उन आदेशों की सूची दी गई है जिनकी अपील होगी। इसके नियम 1 (डी) के अनुसार :- **an order under Rule 13 of Order ix rejecting an apllication (in a case open to appeal) for an order to set aside a decree ex parte**: अंकित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 13-12-2004 अपील योग्य आदेश है ना कि निगरानी योग्य आदेश रहा हो। फलतः हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष संधारण योग्य नहीं होने से, इसी आधार पर **खारिज** की जाती है। प्रार्थीगण उक्त आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	